



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pcef-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो०ब०-११/२०१७-४२५ दिनांक : २६/८/१९

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

उप वन संरक्षक,  
योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ, राँची

**विषय :-**

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली “वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें” (अन्य व्यय) के अंतर्गत सी०य०जी० नेटवर्क सेवा हेतु बी०एस०एन०एल० को भुगतान (वित्तीय वर्ष 2018-19 का बकाया राशि) एवं मुख्यमंत्री जन-वन योजना के वेबसाइट (janvan.jharkhand.gov.in) हेतु JAP IT को भुगतान के लिए कुल रु० 4500000/- (पैंतालीस लाख रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

**प्रसंग:-**

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो०ब०-२५/२०१९-२५/स्वी० व०प० राँची दिनांक 07.08.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो०बजट-२५/२०१९-७३/आ० व०प० दिनांक 20.08.2019।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-47 “वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें” योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित राशि के अधीन कुल रु० 4500000/- (पैंतालीस लाख रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101470103	45.000
<b>कुल :-</b>		<b>45.000</b>

2. इस राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 पर वर्णित उप वन संरक्षक, योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ, राँची होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- 19S240601101470103 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम सं0-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं हो तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

9. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।


12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का ट्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,


  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / योबो-11 / 2017-

दिनांक—

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विशेष परियोजना, झारखण्ड, राँची / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / योबो-11 / 2017-

दिनांक—

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली “वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत सी0यू0जी0 नेटवर्क सेवा हेतु बी0एस0एन0एल0 को भुगतान तथा मुख्यमंत्री जन-वन योजना के वेबसाइट ([janvan.jharkhand.gov.in](http://janvan.jharkhand.gov.in)) हेतु JAP IT को भुगतान हेतु उप आवंटित राशि

(राशि रु0 में)

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	कार्य विवरणी		मजदूरी	कुल
i	ii	iii		iv	v
1	उप वन संरक्षक, योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ, राँची	(i)	सी0यू0जी0 नेटवर्क सेवा हेतु बी0एस0एन0एल0 को भुगतान (वित्तीय वर्ष 2018-19 का बकाया राशि)	2059813	2059813
		(ii)	मुख्यमंत्री जन-वन योजना के वेबसाइट ( <a href="http://janvan.jharkhand.gov.in">janvan.jharkhand.gov.in</a> ) हेतु JAP IT को भुगतान	2440187	2440187
		योग :-		4500000	4500000



प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश


झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निर्मांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

दिवांक -

26-Aug-2

पत्र संख्या - 01/YB-11/2017/825

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101470103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन मरक्षण, विकास तथा संपोषण 47 - वन कार्यालयों का आधुनिकीकरण एवं सूचना तकनीकी सेवायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : MODERNIZATION & IT ENABLED SERVICES FOR FOREST OFFICES(0980) Central Scheme : NA	54743	DRNFWL078 TARAK NATH DYCF.PLAN.MONET.E AL.CELL	4,500,000.00 रुपये पैसालीस लाख
				4,500,000.00
योग:				
क्रमिक योग:	रुपये पैसालीस लाख		 (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)	
		122,252,250.46	PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI	Run Date 26/3/2019